(c) It has been decided that for the present the National Security Guard will be composed of only deputationists from Army and other Central Police Organisations etc. As such, no direct recruitment has been made for the Force.

**प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत आय**

**3084. श्री राम अवधेश सिंह :** क्या

**प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत आय कितनी है ;

(ख) गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों की संख्या कितनी है और ऐसे कितने लोग हैं जिनकी प्रतिदिन की आय 5 लाख रुपये से अधिक है ; और

(ग) इस असंतुलन, यदि कोई हो को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किये जा रहे हैं ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय सांख्यिकी एकत्र करता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वार्षिक प्रति व्यक्ति आय शामिल है, उपलब्ध नवीनतम आंकड़े वर्ष 1984-85 (त्वरित अनुमान) के लिए हैं । केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा दिए गये आंकड़े वार्षिक प्रति व्यक्ति आय पर आधारित है, प्रति व्यक्ति प्रति दिन औसत आय वार्षिक प्रति व्यक्ति आय के उस वर्ष विशेष दिनों की संख्या से भाग करके निकाली जाती है । तदनुसार, चालू और स्थिर (1970-71) कीमतों पर छठी योजना के विभिन्न वर्षों और आधार वर्ष के दौरान अखिल भारतीय वार्षिक प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति आय प्रतिदिन निम्न प्रकार है :—

(रु० में)

| वर्ष | चालू कीमतों पर | | स्थिर कीमतों पर (1970-71)[1] | |
|---|---|---|---|---|
| | वार्षिक प्रति व्यक्ति आय | प्रति व्यक्ति आय प्रतिदिन | वार्षिक प्रति व्यक्ति आय | प्रति व्यक्ति आय प्रतिदिन |
| 1979-80 . . . | 1336 | 3.65 | 665 | 1.82 |
| 1980-81 . . . | 1558 | 4.27 | 700 | 1.92 |
| 1981-82 . . . | 1739 | 4.76 | 720 | 1.97 |
| 1982-83 . . . | 1882 | 5.16 | 721 | 1.98 |
| 1983-84 . . . | 2180 | 5.96 | 761 | 2.08 |
| 1984-85 (क्यू) . . | 2344 | 6.42 | 772 | 2.12 |

क्यू-त्वरित अनुमान

(ख) योजना आयोग द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या के अनुमान, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए पंच-वार्षिक पारिवारिक उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण पर आधारित आंकड़ों का प्रयोग करके तैयार किए जाते हैं । राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के पारिवारिक उपभोक्ता व्यय से संबंधित नवीनतम आंकड़े वर्ष 1983 (राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण का 38वां दौर) के लिए उपलब्ध हैं और इन सर्वेक्षण आंकड़ों का प्रयोग करने से वर्ष 1984-85 में (छठी योजना के अंतिम वर्ष में) गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या 272.7 मिलियन (ग्रामीण क्षेत्रों में 222.2 मिलियन और शहरी क्षेत्रों में 50.5 मिलियन) होने का अनुमान लगाया गया है ।

5 लाख रु० प्रतिदिन से अधिक आय वाले व्यक्तियों की संख्या के संबंध में, आय कर आंकड़ों से पता चलता है कि इतनी आय वाला कोई भी कर-दाता नहीं है ।

(ग) सभी योजनाओं का मूल उद्देश्य गरीबी और असमानता कम करना रहा है । इस उद्देश्य को प्राप्त करने के

लिए योजना प्राथमिकताओं के चयन और संसाधनों के क्षेत्रकीय आवंटन सहित अनेक अप्रत्यक्ष राजकोषीय उपायों और प्रत्यक्ष रूप से गरीबी कम करने के उपायों जैसे अनेक उपायों का प्रयोग किया गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन नीतियों और कार्यक्रमों को समन्वित करने और इन्हें अधिक प्रभावी बनाने का प्रस्ताव है।

असंतुलन कम करने में सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपाय ये हैं :—

(1) परिशोधित गाडगिल फार्मूले के अनुसार, जिसके अन्तर्गत राज्यों को राष्ट्रीय औसत से कम औसत वाले राज्यों के लिए जनसंख्या के आधार पर 60 प्रतिशत और प्रतिव्यक्ति आय के लिए 20 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता का आवंटन किया जाता है, राज्य सरकारों को अपने योजना व्यय की पूर्ति करने के लिए केन्द्रीय सरकार से संसाधनों का अन्तरण करना।

(2) आठवें वित्त आयोग के निर्णय के अनुसार, योजनेतर संसाधनों का अन्तरण करना जो पिछड़े राज्यों के पक्ष में है और किससे राजस्व अन्तर कम करने के अलावा, राज्यों के बीच असमानता भी कम होती है।

(3) राज्यों में पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, सूखा प्रवृत्त क्षेत्र जैसे पिछड़े क्षेत्रों के विकास और जनजातीय जनसंख्या की बहुलता वाले क्षेत्रों के विकास के लिए भी विशेष केंद्रीय सहायता देना।

(4) राज्यों में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित औद्योगिक विकास के लिए निवेश रांजसहायता और रियायती वित्त के रूप में विशेष प्रोत्साहन देना।

(5) गरीबी दूर करने संबंधी कार्यक्रमों के अंतर्गत संसाधनों का राज्यवार आवंटन करते समय छठी योजना की तुलना में सातवीं योजना में गरीबी कम करने पर अधिक बल दिया गया है। वस्तुत : उच्च गरीबी अनुपात वाले राज्यों को इन कार्यक्रमों के लिए धनराशियों का अधिक आवंटन प्राप्त होगा।

**Self-sufficiency in heavy water**

3085. SMT. RENUKA CHOWDHURY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Atomic Power Plants in the country facing difficulty in getting adequate supply of heavy water;

(b) whether there has been an immediate short-fall in the production of heavy water in India; if so, what steps are being taken/are proposed to be taken by Government in this regard;

(c) what steps are being taken by Government for achieving self-sufficiency in this regard; and

(d) by when the country is likely to achieve complete self sufficiency in respect of heavy water?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF OCEAN DEVELOPMENT, ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS AND SPACE (SHRI K. R. NARAYANAN): (a) and (b) No, Sir.

(c) and (d) The country is self-sufficient with regard to its current needs. Work on setting up planning for additional capacities is on hand for meeting the long term requirements of heavy water.

**Migration from Punjab**

3086. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to answer to Starred Question 7 given in the Rajya Sabha on the 17th July, 1986 and state:

(a) what is the latest position regarding migration of the minority community from Punjab;

(b) the number of persons killed in Punjab since August last;

(c) the number of terrorists arrested and killed; and